an>

Title:Discussion on the motion for consideration of the Bureau of Indian Standards Bill, 2015 (Discussion not concluded). (Discussion not concluded).

HON. DEPUTY-SPEAKER: We are now taking up Item No.8 – The Bureau of Indian Standards Bill, 2015.

Hon. Minister.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, it can be taken up tomorrow.

HON. DEPUTY-SPEAKER: We will discuss it up to Six of the Clock now. Let him say whatever he wants to.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015 पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं। वÂ◌ाऩ 1986 का बीआईएस एक्ट पास किया गया था, उसे निरस्त करके नया बिल लाया जा रहा है। आप जानते हैं कि भारत विकास की गति में तेज गति से आगे बढ़ रहा है और हमारे यहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जरूरी हो गए हैं। वÂ◌ाऩ 1947 में इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीटयूट बनाया गया था, जो इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स के लिए मानक तय करता था। यह एक रजिस्टर्ड सोसायटी थी। इसके बाद वÂ◌ाऩ 1952 में आईएसआई एक्ट बना और जब पंचवÂ◌ाि◌वय योजना बनाई गई, उसके बाद इंडस्ट्रीयल ग्रोथ को क्वालिटी के लिए या गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने के लिए स्टैंडर्ड बनाने की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद वÂ◌ाऩ 1986 में बीआईएस एक्ट पास किया गया। जो एक्ट वÂ◌ाऩ 1987 में लागू हुआ, उसका मुख्य काम स्टैंडर्ड बनाना था, मार्किंग करना और सर्टीफिकेशन था। वÂ◌ाऩ 1986 के बाद से देखेंगे तो तीस साल का समय बीत चुका है। यह एक्ट बहुत पुराना हो गया और इकोनोमी का सिनेरियो बदल गया। बीआईएस को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नए-नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं। मार्केट में नई किस्म की सर्विसिज की आवश्यकता पड़ रही है और इसके कारण यह महसूस किया गया कि इसमें संशोधन किया जाए। यूपीए-II की सरकार ने 3/12 को बीआईएस संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया और बाद में उसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया और समिति की रिपोर्ट भी आ गई लेकिन पन्द्रहवीं लोकसभा भंग हो गई और उसके बाद हम लोगों ने बहुत कंसल्टेशन किया और यह महसूस किया कि अगर इतने संशोधन हो जाएंगे तो यह एक्ट किसी काम का नहीं रहेगा इसीलिए यह निर्णय लिया कि पुराने बिल की जगह नया बिल लाया जाए और यह बीआईएस बिल, 2015 लाया गया।

इस बिल को लाने से पहले हम लोगों ने एक दर्जन बार अलग-अलग तरीके से इस बारे में सोचा। इस बिल को वेवसाइट पर रखा, स्टेक होल्डर्स के साथ विचार-विमर्श किया, पीएमओ के साथ बात की और लीगल विभाग से भी बात की। इन सभी से बात करके अंत में यह बिल लाया गया है। इसमें पहली बात यह है कि बीआईएस को राÂट्रीय मानक निकाय घोÂि◌ात किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो अन्य सैक्टर्स हैं, जो अलग-अलग सैक्टर्स में अपने मानक बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, उन्हें बायपास न किया जाए, बल्कि उन मानकों को भी बनाने का उन्हें अधिकार रहे और हम उसे राÂ ट्रीय मानक का दर्जा दें। अभी हम मान लें कि अगर हम विदेश में जाते हैं, वहां " बाटा " की दुकान है। जूता सभी जगह बनता है लेकिन जब " बाटा " का मार्क पड़ जाता है तो लोग सोचते हैं कि स्टैंडर्ड है। उसी तरह से हम मानते हैं कि बाहर एफएसएसआई है, हर तरह के आथोरिटीज हैं लेकिन बाहर जो प्रतिनिधित्व करता है वह आईएसआई करता है। इसी कारण यह सोचा गया कि अलग-अलग वह अपना संगठन बना दें लेकिन उन्हें राÂट्रीय मानक देने का काम बीआईएस करेगा और इससे अंतर्राÂट्रीय व्यापार में सहायता मिलेगी।

यदि राÂट्रीय मानक अनिवार्य किया जाता है तो उससे यह होगा कि बाहर से जो घटिया सामान आता है, उस पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। पहले जो बीआईएस एक्ट था, उसका काम केवल सामान और प्रोसेस की गुणवत्ता के लिए मानक तय करना था। फिर उसके अनुसार मार्किंग करता था तथा टेस्ट भी करता था कि यह गुणवत्ता के अनुसार है या नहीं है। अब जो पद्धति है, उसमें सिस्टम और सर्विसेज को भी जोड़ा गया है। जैसे मान लेते हैं कि ऑफिस का मैनेजमेंट सिस्टम है कि ऑफिस कैसे चलेगा, हम कितने दिनों में जवाब देंगे, जिस तरह से सिस्टम बना हुआ है। उसी तरीके से जो एजुकेशंस हैं या हॉस्पीटल्स हैं। इन सारी चीजों को जोड़ा गया है। अब आर्टिकल्स के साथ-साथ गुड्स, प्रोसेस, सिस्टम्स, सर्विसेज सभी बीआईएस में आ गये हैं। केन्द्र सरकार को अधिकार होगा कि बीआईएस के अलावा भी दूसरे टेस्टिंग और लाइसेंस का काम सौंप सकती है। मतलब बीआईएस के पास इतना काम बढ़ गया है और बढ़ जाएगा कि स्वाभाविक है कि यदि उस स्टैंडर्ड का दूसरा भी कोई करता है, तो हम उस प्रक्रिया को सरल कर रहे हैं। यदि उसमें दूसरा भी है, तो उसे भी टेस्टिंग और लाइसेंस का काम बीआईएस सौंप सकती है। उसके बाद शिड्यूल इंडस्ट्री के द्वारा बनाया गया जो सामान था, वही अनिवार्य मार्किंग में आता था। अब केन्द्र सरकार को यह शक्ति दी गयी है कि वह नेशनल इंट्रेस्ट में, नेशनल सिक्युरिटी के दÂि◌टकोण से, जन-सुरक्षा के दÂि◌टकोण से, स्वास्थ्य के दÂि◌टकोण से, पर्यावरण के दÂि◌टकोण से और अनुचित व्यापार को अनिवार्य कर सकता है। इन सब के कारण बीआईएस पर काम का बोझ पड़ेगा और हम इतने वैज्ञानिक नहीं ला सकते हैं, हम चाहते भी नहीं हैं कि कोई इंस्पेक्टर राज फिर से कायम हो। इसलिए सर्टिफिकेशन के लिए सेल्फ-डिक्लेरेशन कर सकेंगे, मतलब जो प्राइवेट प्रोड्यूशर्स हैं, वे चाहें तो कह दें कि हमारा सामान बीआईएस के स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है और हम इसको डिक्लेयर करते हैं। उसको भी हम मान्यता देंगे, लेकिन जब शिकायत आएगी तो हम उस शिकायत की जांच करेंगे। यह नहीं है कि हमारा इंस्पेक्टर...(व्यवधान) आप जब बोलेंगे, तब सजेशन दीजिएगा। हमारा सिर्फ यही कहना है कि अभी जो सर्टिफिकेट बीआईएस देता है, उसके पास इतना मैनपावर नहीं है। आप जाकर देखेंगे कि सर्विसेज के स्टैंडर्ड की संख्या चाइना में पांच हजार है, हमारे यहां केवल 87 है, जबकि डब्ल्यूटीओ में 800 के करीब सर्विसेज के स्टैंडर्ड बना लिए हैं।

हमारा मेन मकसद है कि प्रक्रिया को सरल करें। प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं,...(व्यवधान) जो अलग-अलग संस्थाएं एवं अलग-अलग विभाग हैं, वहां उन्होंने अपने जो स्टैंडर्ड्स तय किए हैं, हम उनको एडॉप्ट करते हैं। दूसरे, अगर प्राइवेट कंपनी वाला भी कहता है कि हमने आपके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सामान बनाया है, तो हम उनको भी एडॉप्ट करेंगे क्योंकि यदि हम यह कह देंगे कि हम इसे जांच करके एडॉप्ट करेंगे, तो हमें फिर डर है कि जो इंसपेक्टर्स हैं, जो जांच करने वाले लोग हैं, वे उसमें इतनी दखलंदाजी करना शुरू कर देंगे कि वह काम आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब ओपन मार्केट है, हम मार्केट पर छोड़ देते हैं, जब वह मामला मार्केट में आएगा और हमें कोई शिकायत करेगा, तब उस परिस्थिति में हम जांच करने का काम करेंगे। इसी तरीके से, हमने प्रक्रिया को सरल किया है, लेकिन दण्ड को कठोर किया है। इसमें हमने कहा है कि यह पहले संज्ञेय अपराध नहीं था, काग्नीजेबल ऑफिंस नहीं था, लेकिन अब अनिवार्य प्रोडक्ट्स को संज्ञेय अपराध अर्थात काग्नीजेबल ऑफिंस के अंदर आएंगे। दूसरे, पहले 50,000 रुपये जुर्माना था, अब इसे बढ़ाकर कम से कम एक लाख रुपये जुर्माना किया गया है और अनिवार्य प्रोडक्ट्स के मामले में दो लाख रुपये और एक साल भर की बिक्री के दस गुना तक जुर्माना होगा। पहले एक साल की जेल का प्रावधान था, अब इसे बढ़ाकर हमने दो साल कर दिया है। यह भी कहा गया है कि यदि सामान पर चिन्ह लगा हो, किन्तु उसकी क्वालिटी घटिया हो, वैसे सामान को वापस किया जा सकता है। यदि उपभोक्ता को नुकसान पहुंचा हो तो नुकसान की क्षतिपूर्ति का अधिकार भी होगा। इसके साथ ही हमने यह भी कहा है कि छोटी-मोटी चीजों, मुकदमेबाजी आदि को लिंगर करने के बजाय यदि आपस में फाइन वगैरह करके मामले का निपटारा कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।...(व्यवधान) हॉल मार्किंग के संबंध में हमने कहा है कि केन्द्र सरकार को शक्ति दी गयी है कि वह सोना, चांदी आदि के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर सकती है। अभी हमने कीमती धातुओं के लिए प्रावधान किया है कि हॉलमार्किंग होनी चाहिए। आप जानते हैं कि सोना, चांदी वगैरह नौ कैरेट से लेकर 22 कैरेट तक होती हैं, गरीब जब खरीदने के लिए जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता है कि नौ कैरेट का सामान खरीद रहे हैं या 22 कैरेट वाला सामान खरीद रहे हैं। उससे पैसा 22 कैरेट वाला लिया जाता है और सामान उसे नौ कैरेट का दिया जाता है। हमने कहा है कि प्रत्येक ज्वेलरी की दुकान में ये सारी चीजें रहनी चाहिए।

18.00 hours

लेकिन हॉलमार्किंग को अभी तक ज्वेलर्स के लिए कम्पलसरी नहीं किया गया है। हमने कहा है कि सरकार चाहे तो उसकी मैंडेटरी कर सकता है। इससे सर्विसिज का सेक्टर छोटा था, इसमें शामिल होगा। यह मोटा-मोटी बातें हैं। हमारे पास और भी आंकड़े हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं जाऊंगा, जब सब लोगों के सजेशन्स और अमेंडमेंट्स आएंगे, तब उन पर हम बोलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूं कि इस बिल पर विचार किया जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to provide for the establishment of a national standards body for the harmonious development of the activities of standardisation, conformity assessment and quality assurance of goods, articles, processes, systems and services, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, it is six o'clock now. If the House agrees, we can extend the time by one hour for 'Zero Hour'. I think the House will agree.

Now, we are taking up 'Zero Hour'.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Nobody said 'Yes'.

HON. DEPUTY SPEAKER: That means, it is accepted. That means, silence is all approval.

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या है और जो लोग इस समस्या को झेल रहे हैं, उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्Âिात करवाना चाहता हूं।

महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले दिनों मनमाने निर्णय लिए हैं। पहला मनमाना निर्णय लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जिस पर भ्रÂाटचार और आपराधिक मुकद्मे थे। मैंने पहले भी इस मामले को सदन में उठाया था, लेकिन हमारी बात को नहीं माना गया। हाई कोर्ट ने भी उस अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको नकार दिया। उस व्यक्ति ने 40 हजार भर्तियां की थीं। जिस व्यक्ति को नकार दिया गया था, उसके द्वारा की गयी भर्तियां कैसे सही हो सकती हैं?

महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 लाख 75 हजार शिक्षा मित्रों को भर्ती करके शिक्षक बना दिया और जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की थी...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is a State subject; it cannot be raised here.

...(*Interruptions*)

श्री केशव प्रसाद मौर्य: महोदय, मैं इस सदन में शून्य काल में अपने क्षेत्र का मामला उठा सकता हूं...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is a State subject. Let your members raise it in the Assembly there.

...(*Interruptions*)

श्री केशव प्रसाद मौर्य: उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश आधा देश है...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I cannot allow it.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Shrimati Ranjeet Ranjan.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: A State subject cannot be raised here.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is a State subject. Do not raise it here. It cannot be taken up here. If you raise this subject here, it will create a bad precedent.

...(*Interruptions*)